

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 977/2014

संस्थापन दिनांक 05.11.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी
जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बालमुकुंद पुत्र सोनपाल जाटव उम्र 42
साल

2-भूरा जाटव पुत्र विक्रम जाटव उम्र 20
वर्ष

3-नौबत जाटव पुत्र विक्रम जाटव उम्र 30
साल

4-प्रदीप जाटव पुत्र बालमुकुंद जाटव उम्र
19 साल

5-भगवानसिंह पुत्र सोनपाल जाटव उम्र
45 साल निवासीगण ग्राम भौनपुरा
थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 325/34, 506बी भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भादस के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.10.14 को 22:00 बजे फरियादी अशोक अ0सा01 के घर के सामने खटीक मोहल्ला ग्राम भौनपुर थाना एण्डोरी पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य

आशय के अग्रसरण में अशोक अ0सा01 और अतरसिंह अ0सा02 की खतरनाक उपकरण लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.14 को रात के 10:00 बजे फरियादी अशोक अ0सा01 अपने घर के दरवाजे पर भाई अतरसिंह, जयसिंह, रामजी के साथ बैठा था उसी समय आरोपी भगवानसिंह, नौबत, भूरा, बालमुकुंद लाठी लुहांगी लेकर आये और उन लोगों को मां-बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे जब उन्होंने आरोपीगण को गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने लुहांगी लाठी से भूरा, रामजीलाल, अतरसिंह की मारपीट की। मारपीट में अशोक अ0सा01 के सिर में चोट होकर खून निकला तथा बांये हाथ के अंगूठा में पीछे, दाहिने बखा में तथा रामजीलाल को दाहिने हाथ की कोहनी के पास एवं अतरसिंह को सिर में चोट होकर खून निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद प्रदीपसिंह भी आ गया वह भी मां-बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा तथा सभी आरोपीगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो बच गया आइन्दा हम लोगों से झगड़ोगे तो जान से खतम कर देंगे। तत्पश्चात फरियादी अशोक अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 81/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 15.10.14 को 22:00 बजे फरियादी अशोक अ0सा01 के घर के सामने खटीक मोहल्ला ग्राम भौनपुर थाना एण्डोरी पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अशोक अ0सा01 और अतरसिंह अ0सा02 की खतरनाक उपकरण लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. अशोक अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उनकी आरोपीगण से पुरानी रंजिश चली आई थी। दो वर्ष पूर्व दशहरा के समय आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। तब पंचायत हो गयी थी। पंचायत में ही उसकी अतरसिंह,

भगवानसिंह व भूरासिंह की गुत्थमगुत्थी हो गयी थी। परन्तु आरोपीगण रिपोर्ट करने चले गये। तब उनने भी रिपोर्ट कर दी थी। रिपोर्ट प्र०पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी। नक्शामौका प्र०पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 15.10.15 को रात्रि दस बजे आरोपीगण ने उसकी व अतरसिंह की लाठी लुहांगी से मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ्तर प्र०पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. अतरसिंह अ०सा००२ ने भी इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी व अशोक की लाठी लुहांगी से मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ्तर प्र०पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः उक्त दोनों आहत साक्षीगण जिनके विरुद्ध अभियोजन घटना घटित हुई है, ने आरोपीगण द्वारा लुहांगी लाठी से मारपीट किए जाने से इंकार किया है। आरोपीगण से कोई लुहांगी लाठी भी जप्त नहीं हुई है। अतः प्रत्यक्ष आहत साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 15.10.14 को 22:00 बजे फरियादी अशोक अ०सा००१ के घर के सामने खटीक मोहल्ला ग्राम भौनपुर थाना एण्डोरी पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अशोक अ०सा००१ और अतरसिंह अ०सा००२ की खतरनाक उपकरण लुहांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०